प्रपत्र –5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :–श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

अन्तिम डिक्री

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 शैतानसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटड़िया तला तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडमेर 2 मै. मोहड कस्ट्रक्शन कम्पनी जरिये प्रोपराईटर, हजारीदानजी चारण हाल निवासी पवन होटल के पीछे, नेहरू नगर बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA Act.

मुकदमा नम्बर :– 61 / 2023

निर्णय दिनांक :–.......28/12/23

वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28/12/23 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा आटी पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 600 / 104 रकबा 5.1800 हैक्टेयर व खसरा संख्या 512 / 102 रकबा 10.1700 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की खातेदारी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधज्ञा जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षप नही करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। **तहसीलदार बाडमेर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रास्ते की तरमीम वर्तमान में चल रहे रास्ते के अनुसार दुरूस्त करते हुए पालना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर की तरमीम के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 उक्त तरमीम में अंकित गैर मुमकीन सड़क पर निर्माण कार्य करने हेतु स्वतंत्र है।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 28/12/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेषिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिष्नर की फीस	
जोड़		जोड़	